HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 13090/2026
CNR: RJHC020806252026 | URN: CRLMB / 24204U / 2026

Farukh S/o Shri Mohammad Khan, Aged About 38 Years, R/o Kotkhurd, Police Station Ramgarh, District Alwar (Raj.) (At Present Accused Petitioner Confined In Central Jail Alwar).

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Jiya Ur Rahman
For Respondent(s)	:	Mr. Manvendra Singh, PP Mr. Ashutosh Chauhan for Mr. Sanjay Khan

---

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA
Order

28/10/2026

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से जमानत का यह प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पुलिस थाना **रामगढ़ जिला अलवर** में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या **217/2026** अपराध अन्तर्गत धारा 115(2), 126(2), 118(2), 3(5) भारतीय न्याय संहिता में जमानत का लाभ दिए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत आरोप–पत्र की प्रति पर कार्यालय आपत्ति अंकित होने से उसे दूर करने की प्रार्थना के साथ प्रार्थना–पत्र संख्या 01/2026 पेश किया गया है, जिस पर सुना गया। प्रकरण के इस प्रक्रम पर प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है एवं प्रस्तुत आरोप–पत्र की प्रति को अभिलेख पर लिया जाता है।

बहस जमानत प्रार्थना–पत्र सुनी गई। प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्रार्थी को प्रकरण में मिथ्या संलिप्त किया गया है। उनका तर्क है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में 5–6 लोगों द्वारा मारपीट करने का आक्षेप लगाया गया है जबकि आरोप–पत्र केवल दो व्यक्तियों के विरूद्ध पेश हुआ है। उनका तर्क है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में जखरू द्वारा फर्सी से परिवादी के मारना अंकित है परंतु उसे अभियुक्त

ही नहीं माना गया है। उनका तर्क है कि सहअभियुक्त सहाबुदीन जिसके विरूद्ध आरोप–पत्र पेश हुआ है, उसे विचारण न्यायालय द्वारा जमानत पर मुक्त किया जा चुका है। उनका तर्क है कि आहत के सिर में एक धारदार हथियार की गम्भीर चोट कारित हुई है। प्रकरण में आरोप–पत्र पेश हो चुका है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 20.07.2026 से अभिरक्षा में है। उसके विरूद्ध तीन आपराधिक प्रकरण दर्ज थे, जिनमें से एक का निस्तारण हो चुका है तथा दो अन्य प्रकरण धारा 323, 341 भारतीय दण्ड संहिता के लम्बित हैं। अन्वीक्षा में समय लगेगा। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर मुक्त किया जाए।

विद्वान लोक अभियोजक एवं परिवादी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आहत जाकरदीन के सिर में चोट मारने का आक्षेप प्रार्थी/अभियुक्त पर ही है जो टांचिए से मारने का है। उसके सिर पर धारदार हथियार की गम्भीर चोट कारित हुई है। प्रार्थी से टांचिया बरामद भी हुआ है। उसके विरूद्ध पूर्व के भी तीन आपराधिक प्रकरण दर्ज रहे हैं। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ नहीं दिया जाए।

दोनों पक्षों के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया।

पत्रावली के अध्ययन से प्रकट होता है कि प्रार्थी/अभियुक्त पर धारा 115(2), 126(2), 118(2), 3(5) भारतीय न्याय संहिता के अपराध के आरोप हैं। प्रार्थी/अभियुक्त पर ही आहत के साथ लोहे के टांचिए से सिर में चोट मारने का आक्षेप है। आहत जाकरदीन के सिर पर धारदार हथियार से पैराईटल रीजन की अस्थिभंग की चोट कारित होना चोट प्रतिवेदन के अवलोकन से दर्शित है। प्रार्थी/अभियुक्त से टांचिए की बरामदगी भी हुई है। उसके विरूद्ध पूर्व में भी मारपीट के तीन प्रकरण दर्ज होना भी सामने आया है। अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए मामले के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किए बिना इस प्रक्रम पर प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर मुक्त करना उचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत का यह प्रार्थना–पत्र अस्वीकार कर निरस्त किया जाता है।

(SHUBHA MEHTA),J

20/AJAY KUMAR SINGHAL